वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 20.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, तरुणमित्र न्यूज़, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 20.09.2025

278 वर्ग किमी क्षेत्र के 850 गांवों का बनेगा जीआईएस आधारित मास्टर प्लान

वाराणसी। वीडीए सीमा के अंतर्गत वाराणसी विकास क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 278 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कुल 850 राजस्व ग्राम शामिल हैं। इन सभी राजस्व गांवों का मास्टर प्लान बनाने के लिए शुक्रवार को वीडीए और साई इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि विस्तारित क्षेत्र के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए चयनित संस्था इसे आठ माह की अवधि में तैयार करेगी, जिससे विस्तारित क्षेत्र के सुनियोजित विकास को गति मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान, विकास को दिशा देने के लिए प्रस्तावित भूमि-उपयोग मानचित्र तैयार करते हुए शहर के विकास के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो समय के साथ विकास और परिवर्तन का मार्गदर्शन करता है। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 20.09.2025

भेलूपुर में अवैध निर्माण कराया सील

वाराणसी। भेलूपुर वार्ड के देवरिया बीर अंसार नगर में आवास विकास में अब्दुल रब की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इस अवैध निर्माण के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और विकास कार्य रोकने का नोटिस दिया गया। बावजूद इसके चोरी छुपे रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य कराने पर भवन को सील कर दिया गया। वहीं, वीडीए की ओर से शुक्रवार को एक अवैध निर्माण सील किया गया। भेलूपुर वार्ड के गौरीगंज होटल डायमंड के पास आशीष जायसवाल की ओर से अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। इसके चलते अवैध निर्माण सील किया गया। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 20.09.2025

वीडीए सीमा में आए 215 गांवों की अलग से बनेगी महायोजना

साई कंसल्टिंग इंजीनियर्स से प्राधिकरण ने किया एमओयू

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सुनियोजित ढंग से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने, आमजन को मूलभूत सुविधा मिले और अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल 215 गांवों की अलग से महायोजना बनाने के लिए शुक्रवार को साई कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड से एमओयू किया गया। कुल 278 वर्ग किलोमीटर में 850 राजस्व गांव शामिल हैं। महायोजना जनमानस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडीए के नगर नियोजक प्रभात कुमार की देख-रेख महायोजना बनाई जाएगी। साथ ही सुझाव भी लिए जाएंगे। महायोजना को सार्वजनिक करने के साथ आपत्ति भी ली जाएगी जिससे बाद में सवाल नहीं उठे।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि गंगा नदी के बायीं ओर नगर निगम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छावनी और तहसील के कुछ गांव हैं। दाहिने हिस्से में रामनगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे क्षेत्र। कुल 635 गांवों में 793 वर्ग किलोमीटर वीडीए सीमा में है। शहर और आसपास क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि व प्रमुख मार्गों पर तेजी से औद्योगिक एवं व्यावसायिक बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए वीडीए

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग साई कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी से एमओयू का प्रपत्र लेते हुए • जागरण

ने सुनियोजित ढंग से विकास कराने का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों में वीडीए अवस्थापना निधि से विकास कार्य कराएगा। महायोजना में यह देखा जाएगा कि कहां, कल-कारखाना, शिक्षण संस्थान, पेट्रोल पंप, सरकारी कार्यालय, पार्क, खेल-कूद मैदान, ग्रुप हाउसिंग, कांप्लेक्स आदि स्थान चिह्नित होंगे। इसमें आवासीय, मिश्रित, कृषि और व्यावसायिक जमीन होंगे।

प्राचीन काशी पक्के महाल की बात करें तो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। सकरी गलियों में लोग रहते हैं। आसपास क्षेत्रों में जमीन काफी महंगी है। वहीं, कुछ लोगों वाराणसी-चंदौली हाईवे, बीएचयू के पीछे, सारनाथ, शिवपुर, रोहनिया आदि क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है लेकिन यहां भी जमीन की कीमत तेजी से बढ़ रही है। शहरी सुविधा के नाम पर लोग गांव को छोड़कर शहर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसको देखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बनारस, चंदौली और मीरजापुर के 215 गांवों को वीडीए सीमा में शामिल करने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा था। यह जरूर रहा कि शासन ने आपत्ति जताते हुए सुझाव भी दिए थे। वीडीए ने संशोधित प्रस्ताव को फिर भेजा था।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 20.09.2025

वीडीए वीसी की मौजूदगी में विस्तारित क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए हुआ अनुबंध

आठ माह की अवधि में मेसर्स साई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड करेगी तैयार

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा में अधिसूचित करते हुए वाराणसी विकास क्षेत्र में 215 नये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जिनका कुल क्षेत्रफल 278 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार वर्तमान में वाराणसी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कुल-850 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम- 1973 के अनुसार प्राधिकरण को अपने विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान बनाते हुये नवीन सम्मिलित क्षेत्रों में प्राधिकरण कार्यों के समयबद्ध एवं कुशल निष्पादन, प्रभावी नियन्त्रण, शासकीय आदेशों के अनुपालनार्थ तथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधानों को सुनियोजित ढ़ग से लागू किये जाने हेतु इन्हें वर्तमान गतिमान वार्ड एवं जोन की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार संयोजित किया जाना है, जिसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र के लिये जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाया जाना आवश्यक है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र के लिये जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के कार्य की महत्ता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत ई-निविदा QCBS (Quality cum Cost Basis) टू-बिड पद्धति पर आमंत्रित की गयी थी, जिसके क्रम में Appointment of Consultant to develop GIS based Master Plans for e&tended area of Varanasi Development Authority कार्य M/s. Sai Consulting Engineers Pvt. Ltd. से कार्य कराये जाने अनुमति प्रदान की गयी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं M/s. Sai Consulting Engineers Pvt. Ltd. के मध्य अनुबंध की कार्यवाही शुक्रवार को पूर्ण करायी गयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान चयनित संस्था द्वारा आठ माह की अवधि में तैयार कर दिया जायेगा जिससे विस्तारित क्षेत्र के सुनियोजित विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। मास्टर प्लान विकास को दिशा देने के लिए प्रस्तावित भूमि-उपयोग मानचित्र तैयार करते हुए शहर के विकास के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो समय के साथ विकास और परिवर्तन का मार्गदर्शन करता है। जिससे निवासियों के जीवन स्तर में सुधार, व्यवस्थित विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इसके प्रमुख लाभों में बेहतर भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचा नियोजन, हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय, भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास पहलों के लिए सामुदायिक समर्थन में वृद्धि शामिल है।

मेसर्स साई कंसलटिंग इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड संग अनुबंध करते वीडीए वीसी पुलकित गर्ग

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 20.09.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र का हो सुनियोजित विकास, अनुबंध की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-3 के प्राविधानों के अन्तर्गत वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु दिनांक 20.08.1974 द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, गठन के पश्चात् दिनांक 28.03.1978 एवं पुनः 07.09.2016 की अधिसूचनाओं के माध्यम से उक्त के सीमा विस्तार हेतु संशोधित किया गया। प्रदेश में प्रभावी योजनाओं एवं सम्भावित योजनाओं के दृष्टिगत तथा सुनियोजित विकास हेतु विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों के विस्तारीकरण एवं प्रदेश में प्रभावी योजनाओं एवं सम्भावित योजनाओं तथा बढ़ते नगरीकरण एवं जनसँख्या वृद्धि के फलस्वरूप विकास की बढ़ती प्रवृत्ति को नियोजित स्वरूप प्रदान करने हेतु विकास क्षेत्रों का विस्तारीकरण किये जाने एवं सीमा-विस्तार का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराये गये। जिसके क्रम में दिनांक 28 जून, 2024 के माध्यम से वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा में अधिसूचित करते हुए वाराणसी विकास क्षेत्र में 215 नये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जिनका कुल क्षेत्रफल 278 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार वर्तमान में वाराणसी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कुल-850 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम- 1973 के अनुसार प्राधिकरण को अपने विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान बनाते हुये नवीन सम्मिलित क्षेत्रों में प्राधिकरण कार्यों के समयबद्ध एवं कुशल निष्पादन, प्रभावी नियन्त्रण, शासकीय आदेशों के अनुपालनार्थ तथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधानों को सुनियोजित ढ़ग से लागू किये जाने हेतु इन्हें वर्तमान गतिमान वार्ड एवं जोन की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार संयोजित किया जाना है, जिसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र के लिये जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाया जाना आवश्यक है। मास्टर प्लान विकास को दिशा देने के लिए प्रस्तावित भूमि-उपयोग मानचित्र तैयार करते हुए शहर के विकास के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो समय के साथ विकास और परिवर्तन का मार्गदर्शन करता है। जिससे निवासियों के जीवन स्तर में सुधार, व्यवस्थित विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इसके प्रमुख लाभों में बेहतर भूमि उपयोग और बुनियादी ढाँचा नियोजन, हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय, भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण विकास पहलों के लिए सा समर्थन में वृद्धि शामिल है।

मास्टर प्लान के अंतर्गत न क... आधुनिक दृष्टिकोण का समावेश होता है बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए दिशानिर्देश भी शामिल होते हैं, जिससे शहर के सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा होती है।

न्यायाधीश–दि0 20.09.2025

वाविप्रा जोन-4,वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत 01 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे 19.सितम्बर को जोन-4,वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत 01 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। आशीष जायसवाल पुत्र सुनील जायसवाल व अन्य द्वारा भवन संख्या बी 12/112 गौरीगंज होटल डायमंड के पास वार्ड भेलूपुर जिला वाराणसी के पास आवास विकास थाना भेलूपुर मे अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस व 28 के अंतर्गत विकास कार्य रोकने हेतु नोटिस दिनांक 19.12.2024 को जारी किया गया था उक्त कार्य को रात्रि में चोरी छिपे रुक-रुक कर निर्माण किए जाने पर आज 19.09.2025 को भवन को सील कर दिया गया।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वीडीए जोन-4,वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत 01 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे 19.सितम्बर को जोन-4,वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत 01 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की किंतु निर्माणकर्ता द्वारा चोरी छुपे रुक-रुक कर रात्रि मे निर्माण कार्य किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सूचना धाराओं के तहत आज

गयी।वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत अब्दुल रब व अन्य द्वारा भूखंड संख्या बी19/17-3 देवरिया वीर अंसार नगर वार्ड-भेलूपुर जिला वाराणसी मे आवास विकास थाना भेलूपुर मे अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस एवं धारा 28 के अंतर्गत विकास कार्य रोकने हेतु नोटिस की कार्यवाही 19-0 5-2025 को किया गया था दिनांक 19.09.2025 को भवन को सील कर दिया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियंता सोनू कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।